भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4260

उत्तर देने की तारीख-27.03.2023

योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु रूपरेखा तंत्र

†**4260. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं को परस्पर मान्यता देने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई प्रमुख शैक्षिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अनुसंधान और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थागत स्तर के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे दोनों देशों के छात्रों को किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एक दूसरे देश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की सुविधा के लिए अन्य देशों के साथ ऐसे और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ सुभाष सरकार)

(क): जी, हाँ। भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक तंत्र पर 02.03.2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। तंत्र का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए

योग्यता मान्यता व्यवस्था स्थापित करना है। तंत्र शैक्षिक और कौशल योग्यता के प्रत्येक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

(ख): 17.03.2022 को शिक्षा योग्यता मान्यता के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच हस्ताक्षरित व्यवस्था पत्र के अनुसार, 01.07.2022 को शिक्षा योग्यता मान्यता पर एक टास्कफोर्स की स्थापना की गई थी। टास्कफोर्स में शिक्षा और कौशल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और दोनों पक्षों के नियामक शामिल थे। टास्कफोर्स ने 01.07.2022 से 29.11.2022 तक छह आभासी बैठकें कीं और योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए पारस्परिक सहमति के आधार पर एक मसौदा तंत्र तैयार किया।

(ग): स्मार्ट शहरों के विकास, क्वांटम प्रौद्योगिकी ऊर्जा, जल अनुसंधान जैसे विभिन्न और कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान और अकादमिक सहयोग के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच कई संस्थागत स्तर के समझौता ज्ञापन (एमओयू) सक्रिय हैं। हालांकि, संस्थागत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समेकित डेटा इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

ये समझौता ज्ञापन (एमओयू) छात्रों को एक्सपोजर प्रदान करेंगे, शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेंगे।

(घ): भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में विभिन्न उपायों को निर्धारित किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और संकाय/छात्र विनिमय को सुविधाजनक बनाना; विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना; अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना; विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और सहायता के लिए प्रत्येक एचईआई में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना; इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, औषधियों की आयुष प्रणाली, योग, कला आदि जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने फ्रांस, मोरक्को और यूनाइटेड किंगडम के साथ योग्यता की पारस्परिक मान्यता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जो भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के तहत सहयोग की अनुमति देते हैं।विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए दक्ष मानव संसाधनों की उपलब्धता की सुविधा के लिए वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए गिफ्ट सिटी में अनुमति दी जाएगी।

*****